अध्याय-5

हमारी सरकार

हम अक्सर सरकार शब्द सुनते हैं। यह क्या है? सरकार क्या करती हैं? लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएँ हैं? इस अध्याय में इन सवालों के उत्तर ढूँढ़ने का प्रयास करेंगे।

कोशी का बांध टूटा, महाप्रलय की स्थिति, सरकार ने दिये जाँच के आदेश

बिहार के 26 जिलों को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया

इलाहाबाद उच्च न्यायलय में सफाई की जरूरत – सुप्रीम कोर्ट

70 हजार शिक्षक बहाल होंगे–मुख्यमंत्री

शिक्षक बनने के लिए अब देनी होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.)

मनरेगा में धांधली की जांच होगी–मंत्री

नवीं कक्षा के छात्र–छात्राओं को सरकार देगी साइकिलें

बिहार में खिलाड़ियों को मिलेंगी सरकारी नौकरियाँ

प्रश्न – ऊपर दिए गये अखबारों के मुख्य समाचार सरकार के किन–किन कार्यों को दर्शाते हैं? आपस में चर्चा करें।

सरकार क्या है?

विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं – सड़क और स्कूल कहाँ बनाये जाएँ, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुँचे, बहुत ज़्यादा महँगाई हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएँ अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ायी जाए आदि। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्त्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक–तार, फोन एवं रेल सेवाएँ चलाना आदि।

सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सूखा, बाढ़ या भूकंप तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है।

आखिर सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है? जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक सामूहिक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। इसके लिए कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं। कुछ ऐसे नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो।

लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। नियम या कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है। बनाये गये नियम एवं लिए गये निर्णयों को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के अंग हैं। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो समाधान के लिए लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। आगे की कक्षा में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।

प्रश्न

1. सरकार क्या–क्या काम करती है ? अपने शब्दों में समझाएँ।

2. सरकार के कुछ ऐसे कार्यों का उदाहरण दें जिसकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है।

सरकार के स्तर–

राज्य स्तर से तात्पर्य पूरे प्रदेश से है, जैसे– अपने बिहार राज्य में सरकार पूरे बिहार के लोगों के लिए काम करती है। ठीक उसी प्रकार झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की सरकार अपने प्रदेश के निवासियों के लिए कार्य करती है। केन्द्र सरकार देश के सभी राज्यों के विकास के लिए कार्य करती है। इस पुस्तक के अगले अध्याय में स्थानीय सरकार के स्वरूप एवं कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विस्तृत जानकारी आगे की कक्षाओं में मिलेंगी।

केन्द्र शासित प्रदेश

कुछ प्रदेशों पर केन्द्र का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है। ये प्रदेश केन्द्र शासित प्रदेश कहलाते हैं – चण्डीगढ़, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह आदि।

तालिका में दिये गये कथनों को देखें–क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं?उनके आगे निशान लगाइए।	स्थानीय	राज्य	केन्द्र
1. बिहार सरकार का सभी लड़कियों को मुफ्त पोशाक देने का निर्णय।			
2. पश्चिम बंगाल की सरकार का बिहार से पटसन खरीदने का निर्णय।			
3. गाँव के एक सार्वजनिक कुएँ के स्थान को चुनने का निर्णय।			
4. फारबिसगंज तथा जम्मू के बीच में नई रेल सेवाएँ शुरू करने का निर्णय।			
5. पटना के बच्चों के लिए बड़ा–सा पार्क बनाने का निर्णय।			
6. बाढ़ के मुद्दे पर नेपाल से वार्ता का निर्णय।			
7. 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय।			

आपने मतदान के दिन वोट देने के लिए लोगों को पंक्तिबद्ध देखा होगा। लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं। ऐसी सरकार को **लोकतांत्रिक सरकार** कहते हैं। यह सरकार निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि हर बार एक ही दल की सरकार चुनी जाए। इस प्रकार सत्ता की शक्ति हमेशा जनता के हाथ में रहती है। लेकिन इससे अलग भी एक और सरकार होती है, जिसे **राजतंत्र** कहते हैं। राजतंत्र में सत्ता की सारी शक्ति राजा में निहित होती है। लोकतंत्र में जनता अपनी इच्छा से मताधिकार का

प्रयोग कर सरकार को चुनती है और उसे अपने किये गये कार्यों पर सफाई देनी होती है। जबकि राजतंत्र में राजा अपने वंश परम्परा से आते हैं। वे स्वयं निर्णय लेते हैं, जिनके लिए उन्हें कोई सफाई नहीं देनी पड़ती है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की प्रमुख बात यह है कि इसमें जनता अपना प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है। वही प्रतिनिधि शासन भी चलाते हैं। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग खुद सरकार में अपने प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं। लोकतंत्र में सभी वयस्क लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है।

प्रश्न 1. लोकतंत्र और राजतंत्र की तीन मुख्य अंतर को रेखांकित करें?

लोकतंत्र के विचार कैसे आएँ ?

हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेज़ों का शासन था जिसमें सरकार बिना लोक प्रतिनिधित्व के चलायी जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज की मांग की गई कि भारत के लोग खुद अपनी सरकार चला सकते हैं। वे अंग्रेजों के गुलाम नहीं बना रहना चाहते थे। कई वर्ष के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने देश के कुछ शिक्षित एवं सम्पत्तिशाली व्यक्तियों को मत के प्रयोग का अधिकार दिया था। देश के गरीबों, अशिक्षितों, औरतों एवं अभिवंचित वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्वतंत्रता–संग्राम के दौरान सभी लोग उसमें शामिल हुए और यह विचार, कि सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, बुलंद हुआ। इसी विषय में महात्मा गाँधीजी ने 1931 में 'यंग इंण्डिया' पत्रिका के माध्यम से कहा था, "मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास सम्पत्ति है, वह वोट दे सकता है – लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, पर सम्पत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता है। जो दिनभर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है।"

लोकतांत्रिक देशों में सभी महिलाओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की महिलाओं को कई संघर्ष करने पड़े। अमेरिका तथा पश्चिम

यूरोप में महिलाओं को पहले मताधिकार प्राप्त नहीं था। वहाँ वोट देने के अधिकार के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया। उन्होंने जगह–जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बाँध कर प्रदर्शन किया। वे जेल गयीं और भूख हड़ताल पर बैठीं। इस प्रकार पूरे विश्व में महिलाओं को वोट देने के अधिकार का विचार फैला। 1902 में आस्ट्रेलिया, 1920 में अमेरिका, 1928 में इंगलैण्ड और उसके बाद फ्रांस, भारत, इटली, जापान आदि देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किये गये संघर्षों एवं समानता के विचार के कारण वर्तमान समय में भारत में सभी औरतें व मर्दों, अमीर या गरीब तथा अभिवंचित वर्ग के लोग मत दे सकते हैं। इनमें कोई विभेद नहीं है। इसी अधिकार को **सार्वभौम वयस्क मताधिकार** कहा जाता है।

लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व

लोकतांत्रिक सरकार तीन आधारभूत सिद्धान्तों पर काम करती है। लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय इसके प्रमुख सिद्धान्त हैं।

भागीदारी

आस्था के घर में आज सुब काफी चहल–पहल देख उसके पड़ोसी ने उसके पिता से पूछा, " क्या आज कोई खास बात है? तो शर्मा जी ने कहा – " मतदान करने क्या आप भी चल रहे हैं ? पड़ोसी ने उत्तर दिया – नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि कुछ बदलेगा। " दोनों में खूब बहस हुई।

प्रश्न– दोनों में क्या बहस हुई होगी ? अभिनय द्वारा दर्शाएँ।

चुनाव में वोट दे कर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मान कर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और माँगों को ध्यान में रखेंगे सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि पाँच वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार पाँच वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उन्हें चुनें। चुनाव का समय

लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है।

वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं।

यदि सरकार जनता के कार्यों को सही रूप से नहीं करती हो तो जनता –

धरना एवं आंदोलन करते लोग

पत्र लिखना, ज्ञापन देना, धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, कोर्ट में केस करना, सत्याग्रह आदि तरीकों का उपयोग करती है। इन माध्यमों द्वारा वे अपनी बात सरकार तक पहुँचाती है। इस तरह लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा में भागीदार रहती है।

प्रश्न – शिक्षक की मदद से ऊपर दिए गए तरीकों के कुछ उदाहरण ढूँढ़ें और चर्चा करें कि उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है?

विवादों का समाधान :

हमारा देश लोकतांत्रिक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दूसरों के हितों का ख्याल न रखना, आपसी समझ न होना, किसी और की भाषा या क्षेत्र को नीचे देखना आदि। कई बार लोग सरकार के निर्णयों से असहमत होते हैं तथा इससे भी विवाद उत्पन्न होता है। सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे ताकि वह हिंसा का रूप नहीं ले। आइए, अपने समाज के कुछ विवादों पर नजर डालें तथा देखें कि सरकार इसके समाधान में कैसे भूमिका निभाती है।

विवादों के समाधान के लिए थाने पहुँचे लोग

ग्राम पंचायत नवहट्टा सहरसा में रामप्रवेश रहते हैं। बगल के गाँव के अब्दुल उनकी फसल को काटकर ले गये। अगले दिन रामप्रवेश को पता लगा तो उसने अब्दुल के घर जाकर बात की। अब्दुल ने उस जमीन को अपनी जमीन बतायी। इस कारण विवाद और गहरा गया। लौट कर रामप्रवेश ने सारी बातें ग्राम प्रधान को बतायीं। वहाँ घनश्याम भी मौजूद था। उसने बिना तथ्य को समझे गाँव वालों को भड़का दिया, जिससे सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगा। गाँव के लोग एकत्रित होकर स्थानीय थाना को इसकी

सूचना दी। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए, थानाप्रभारी ग्राम पंचायत के मुखिया से विचार–विमर्श कर विवाद को सुलझाने के लिए तत्काल सभी लोगों को घर जाने को कहा तथा दोनों पक्षों को अगले दिन आने का समय निर्धारित किया। इस बीच थाना प्रभारी ने कर्मचारी को बुलवाया तथा पता किया कि यह ज़मीन किसकी है। कर्मचारी ने बतलाया कि यह जमीन अब्दुल की है। अगले दिन दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद का समाधान शान्तिपूर्ण तरीके से किया गया तथा घनश्याम को कड़ी हिदायत दी कि वह अफवाह न फैलायें।

इसी तरह कई स्तरों पर विवाद होता है ग्रामीण या राष्ट्रीय, कृष्णा–कावेरी नदी विवाद, दो राज्यों, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, सतलुज नदी विवाद, हरियाणा और पंजाब के बीच, किसानों की उपजाऊ भूमि सरकार द्वारा लेकर उद्योग स्थापित करने के कारण उत्पन्न विवाद, बिहारी छात्रों एवं लोगों के साथ अन्य प्रान्तों में हुए गलत व्यवहार से उत्पन्न विवाद।

प्रश्न– अपने अध्यापक की सहायता से ऊपर लिखित विवादों के पीछे क्या कारण थे समझें और उसके समाधान के रास्ते क्या हैं? चर्चा करें।

समानता और न्याय :

हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं लेकिन हमें पूरी स्वतंत्रता तब मिलेगी जब सभी को जीने के लिए समान अवसर प्राप्त हों। असमानता समाज द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे छुआ–छूत, लिंग–भेद , आर्थिक अवसर की असमानता आदि। आमतौर पर घरों में लड़के और लड़कियों में भी विभेद किया जाता है। लड़कों को परिवार में अधिक अवसर दिया जाता है। शादी–विवाह, भोज–भण्डारा में खास समुदाय एवं वर्ग के व्यक्तियों को अलग बैठा कर खिलाया जाता है। धीरे–धीरे समाज में जागरूकता आ रही है और ऐसी घटनाएँ कम होती जा रही है।

समानता बिना न्याय संभव नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार समानता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध होती है। सरकार द्वारा कानून के माध्यम से महिलाओं को विशेष दर्जा देकर समान अवसर प्रदान किया गया है, जैसे–पैतृक धन–सम्पत्ति में समान बँटवारा । लड़कों को समाज में अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। यह गलत

पोशाक की राशि प्राप्त करती छात्राएँ

एवं अ़न्यायपूर्ण है। इस पर सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों की शिक्षा हेतु सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों में फीस खत्म कर दी है। उनके लिए पोशाक योजना आरंभ की गई है। उसी तरह महादलित बच्चे – बच्चियों पर भी सरकार ने विशेष ध्यान रखते हुए पोशाक के साथ–साथ छात्रवृति योजना आरंभ किया है ताकि उन्हें भी समान अवसर मिल सके।

सरकार नियम, कायदे बनाती है। कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति को क्षति या नुकसान पहुँचाता है, उसकी चीजें चोरी करता है, तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत उसे न्यायलय की प्रक्रिया द्वारा दण्डित किया जा सकता है। सरकार को भी अपने बनाये नियमों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए यदि लोगों के साथ जबरदस्ती होती है या उनका रोज़गार या ज़मीन छीनी जाती है तो उन्हें यह अधिकार है कि वह सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं।

लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व की अवधारणाओं को प्रश्रय देती है।

अभ्यास

1. रिक्त स्थानों को भरें ।

   (i) सरकार राज्य का ------------------रूप है।

   (ii) राज्य अपना कार्य------------------के माध्यम से करती है।

   (iii) सरकार के ----------------अंग है।

   (iv) कानून----------------------बनाती है।

   (v) राजतंत्र में शक्ति--------------------के हाथ में होता है।

2. **सरकार से आप क्या समझते हैं?**

3. **लोकतांत्रिक सरकार क्या है?**

4. **लोकतांत्रिक सरकार में कौन–कौन तत्व हैं? व्याख्या करें?**

5. **नीचे दिए गए प्रश्न आप के विद्यालय से संबंधित हैं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास शिक्षक अथवा अभिभावक के साथ करें।**

   (I) आपके विद्यालय भवन बनाने के लिए राशि कहाँ से प्राप्त हुई?

   (II) मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कौन करता है?

   (III) आपके विद्यालय तथा गाँव या मोहल्ले के बीच की सड़क किसने बनवायी है?

   (IV) आपको मिलने वाली पुस्तकों की व्यवस्था कौन करता है?